<u>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ में पराविधिक स्वयं सेवक के नियुक्ति हेतु नामित समिति द्वारा की गई बैठक दिनांक 07.08.2024 का कार्यवृत्त–</u>

<u>दिनांक– 07.08.2024</u>

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के मानक संचालन प्रक्रिया व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी है। उक्त चयन समिति की आज दिनांक 07.08.2024 को समय 01:30 बजे, अध्यक्ष चयन समिति के विश्राम कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया–

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जनपद आजमगढ़ में मुख्यालय व तहसील विधिक सेवा समितियों में पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की मानक संचालन की प्रक्रिया के अनुसार ऐसे व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगे जो अध्यापक (सेवानिवृत्त अध्यापकों सहित) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता छात्र व अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक, छात्र व विधि छात्र (जब तक वह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, गैर सरकारी संगठन, महिला संगठनों के सदस्य अन्य सेवा समूह के सदस्य, सजायफ्ता बन्दी (जो शिक्षित हो व व्यवहार में अच्छा हो), अन्य कोई व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में योग्य समझे।

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिकतम 50 पराविधिक स्वयं सेवक व तहसील विधिक सेवा समिति में अधिकतम 25 पराविधिक स्वयं सेवक का चयन किया जाना है।

4. समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध ऐसे दोषसिद्ध बन्दी जो शिक्षित व व्यवहार में अच्छे हो, ऐसे बन्दियों का प्रार्थना पत्र जिला कारागार से आहूत हो।

5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत नियुक्त किये जाने वाले पराविधिक स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक कार्य दिवस के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नियमों के अधीन होगा। पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाया जाना उचित होगा।

6. समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तहसील विधिक सेवा समितियों से व इच्छुक आवेदनकर्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाय तथा आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ में जमा करने का समय दिनांक 12.08.2024 से दिनांक 19.08.2024 तक सायं 05:00 बजे तक का समय निर्धारित किया जाय।

उक्त कार्यवृत्ति तथा प्रेस–विज्ञप्ति व आवेदन फार्म का प्रारूप सम्बन्धित दैनिक समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित किये जाने हेतु जिला सूचना अधिकारी को आवेदन की एक प्रति व जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को आवेदन की एक प्रति प्रेषित कर एवं विभिन्न सूचना पटों पर चस्पा की जायें।

(धनंजय कुमार मिश्रा) सदस्य, नियुक्ति समिति/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़।	(संतोष कुमार यादव) सदस्य, नियुक्ति समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–06 आजमगढ़।	(संजीव शुक्ला) अध्यक्ष, नियुक्ति समिति/ जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, परिसर आजमगढ़।

प्रेस–विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी नियमावली के अन्तर्गत पराविधिक स्वयं सेवकों (पी0 एल0 वी0) की भर्ती की जाती है, जिसका कार्यकाल 01 वर्ष का होता है, इसका उद्देश्य यह है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गये पराविधिक स्वयं सेवकों को कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे समाज के सभी वर्गों के लोगों तक कानूनी सहायता प्रदान कर सके। जिसके कारण आमजन को न्याय तक पहुँचने में आने वाली बाधायें दूर हो सके। पराविधिक स्वयं सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि न्याय तक पहुँचने में आम जनता को आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनी सेवा संस्थानों तथा आम जनता के बीच अन्तर को पाटने वाली मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगें। पराविधिक स्वयं सेवक योजना का उद्देश्य यह है कि कानूनी सेवा संस्थानों से सम्पर्क करने वाले लोगों के बजाय, कानूनी सेवा पराविधिक स्वयं सेवकों के माध्यम से लोगों के दरवाजे तक पहुंचे।

- पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन प्रक्रिया हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, जिसकी अन्तिम तिथि 19.08.2024 निर्धारित है।

आवेदन फार्म भरने की शर्तें व पात्रता–

01. आवेदक कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो।

02. आवेदक की अभिरूचि समाज के जरूरत मन्द लोगों की सहायता करने में विशेष रूचि हो। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों और हासिये पर पड़े लोगों को उपर उठाने के लिए आवेदक में सहानुभूति हो तथा आवेदक पराविधिक स्वयं सेवक के कार्य को अपनी आजीविका चलाने का जरिया न बनाये।

समाज के निम्नलिखित वर्ग से पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है–

टारगेट ग्रुप्स

1. अध्यापक (सेवानिवृत्त अध्यापकों सहित)
2. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक।
3. एस.एस.डब्ल्यू छात्र व अध्यापक।
4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री।
5. चिकित्सक।
6. छात्र व विधि छात्र (जब तक कि वह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते)
7. एन0 जी0 ओ0 व क्लब के गैर राजनीतिक सदस्य।
8. महिला संगठनों के सदस्य, मैत्री संगठन व अन्य समूह के सदस्य।
9. जिला कारागार, आजमगढ़ में ऐसे सजायाफ्ता बन्दी जो शिक्षित एवं व्यवहार में अच्छे हों।
10. अन्य व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति इस हेतु योग्य समझें।

चयन प्रक्रिया–

पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा नियत दिनांक को आवेदक गठित पीठ के समक्ष साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल शैक्षणिक व कौशल प्रमाण–पत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगे। साक्षात्कार की सूचना आवेदक को दी जायेगी। आवेदक अपने आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चस्पा करेगें तथा अपने शैक्षणिक व कौशल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ की कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करेंगे।

- चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा कराया जायेगा।

चयनित पराविधिक स्वयं सेवक को कोई वेतन/पारिश्रमिक देय नहीं होगा। पराविधिक स्वयं सेवक चयनित तथा प्रशिक्षित होने के उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सौपे गये कार्यों को नालसा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर व सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करेंगे। कार्य सत्यापन होने के उपरान्त 400 रू0/प्रति कार्यदिवस (अधिकतम 15 कार्यदिवस अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार) भुगतान किया जायेगा।

- पराविधिक स्वयं सेवक के चयन प्रक्रिया में महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(धनंजय कुमार मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, आजमगढ़।

प्रतिलिपि–

1– जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, दीवानी न्यायालय आजमगढ़ को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3– जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से निम्नलिखित समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1. दैनिक जागरण
2. हिन्दुस्तान
3. अमर उजाला
4. रणतूर्य

4– जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड व कार्यालय जिलाधिकारी आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु एवं जनपद की समस्त तहसीलों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जन–साधारण की जानकारी हेतु अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, आजमगढ़।

<u>कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, आजमगढ़।</u>

<u>पैरा–लीगल वालिण्टयर (पी0 एल 0 वी0) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र</u>

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदित पद का नाम...

2. अभ्यर्थी का नाम..

3. पिता/पति का नाम..

4. फोन नं0/मो0 नं0...

5. जन्म तिथि... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. राष्ट्रीयता...

7. जाति...............................(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति)

8. स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता ....
.... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. शैक्षिक योग्यता.. (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. टारगेट ग्रुप...

11. कार्य करने का स्थान...

12. प्रशिक्षण एवं अनुभव...

13. आवेदक का वर्तमान निवास स्थान..

14. तहसील...

15. तहसील मुख्यालय से आवेदक के वर्तमान पता की दूरी...

16. शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता हो तो, उसका उल्लेख करें ....

<u>घोषणा</u>

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारियां/सूचनाएं सत्य हैं, इनमें से किसी सूचना/जानकारी के गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

....